झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध मंत्रालय

सं०सं०-12/स्था०-21-14/06 119(12) स्वा०, दिनांक-23.08.06

संकल्प

विषय: झारखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र में सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए सरकारी प्रोत्साहन नीति।

झारखण्ड राज्य में हृदय, गुर्दा, न्यूरोलोजी एवं कैन्सर जैसे गंभीर बीमारियों की विशिष्ट चिकित्सा के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा संस्थानों का घोर अभाव है। इसके फलस्वरूप राज्य के लोगों को देश के दूसरे राज्यों में चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है। राज्य में चिकित्सा सुविधा का उन्नयन कार्य जारी है तथा राज्य की स्वास्थ्य नीति में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की अधिकतम् भागीदारी स्थापित कर इसे सुदृढ़ करने का लक्ष्य घोषित है।

2. निजी क्षेत्र में सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा नगद अनुदान/भूमि आदि आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराकर इस दिशा में निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है ताकि सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा संस्थानों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित हो सके। ऐसा होने से जहाँ राज्य की जनता को गंभीर बीमारियों की अत्याधुनिक विशिष्ट चिकित्सा स्थानीय स्तर पर सहज-सुलभ हो सकेगी वहीं दूसरे राज्यों से भी लोग ईलाज कराने आयेंगे जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा।

3. ऊपर वर्णित पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र में सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रोत्साहन नीति के गठन का प्रस्ताव है जो निम्नवत् है:-

i निजी क्षेत्र में स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की समीक्षा स्क्रूटनी के लिए एक Expert Committee का गठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निम्नवत् किया जायेगा:-

1. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष
2. निदेशक, रिम्स, राँची - सदस्य
3. स्पेशिलिटी के (रिम्स के एच०ओ०डी०)
   विशेषज्ञ (सरकार के द्वारा मनोनीत) - सदस्य

समिति के द्वारा संस्था के परियोजना प्रतिवेदन की Feasibily और Viability पर सम्यक् विचार कर यह अनुशंसा की जायेगी कि संस्था स्पेशिलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए सरकारी प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सहायता/अनुदान के लिए विचारणीय है अथवा नहीं। इस Expert Committee की अनुशंसा निम्नलिखित Proposal Approval समिति के समक्ष अन्तिम Approval के लिए प्रस्तुत की जायेगी:-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष
2. सचिव, वित्त विभाग या उनके संयुक्त सचिव या उनसे उच्चत्तर स्तर के पदाधिकारी - सदस्य
3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड - सदस्य
4. एच०ई०सी० या सी०सी०एल० के स्वास्थ्य सेवायें निदेशक - सदस्य
5. संबंधित सं० सचिव/उप सचिव - सदस्य सचिव

ii. उपरोक्त कंडिका (i) की Proposal Approval समिति अनुमोदित संस्था को स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्य आरंभ करने की अनुशंसा करने की जायेगी।

iii. अनुशंसित संस्था को अस्पताल भवन सहित सभी कार्मिकों की व्यवस्था तथा उन पर होने वाले व्यय का वहन अपने श्रोतो से करना होगा।

iv. राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखत तीन प्रकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जायेगा:-

क्रमांक	**योजना**	**मरीजों से ली जाने वाली चिकित्सा शुल्क**	**योजना के क्रियान्वयन की अहत्ताएँ**
1	सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराना	सभी प्रकार के मरीजों के लिए अखिल भारतीनय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के दर पर।	संबंधित संस्था विस्तृत परियोना प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव समर्पित करेगी। डी०पी०आर० की कुल प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत 3 माह के लिए Valid बैंक गारन्टी प्रस्ताव के साथ समर्पित करना होगा। प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत राशि की दर पर तीन वर्ष की राशि Performance Guarantee के रूप में M.O.U के हस्ताक्षर के साथ देनी होगी। तीन वर्ष की

			अवधि में परियोजना को पूर्ण कर लेना होगा। इसके पश्चात् परियोजना लागत की 10 प्रतिशत की राशि Performance Guarantee के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए देनी होगी। यह Performance Guarantee की राशि प्रत्येक 5 वर्ष पर 25 प्रतिशत बढ़ेगी तथा संस्था को हर 5 वर्ष पर Performance Guarantee को Renewal करना होगा। यदि 5 वर्षो के अवधि समाप्ति होने तक Renewla नहीं कराया गया तो सरकार Performance Guarantee की राशि को जब्त कर लेगी। सकार द्वारा अधिकतम 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। यदि यथोचित जाँचोपरान्त सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि अस्पताल द्वारा AIIMS की दर से ज्यादा दर पर फीस ली जा रही है तो Performance Guarantee को जब्त कर लिया जायेगा। तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि का मूल्यांकन आयकर विभाग के मान्यता प्राप्त वैल्यूयेटर से कराकर उसकी डेढ़ गुणा राशि की वसूली अस्पताल से की जायेगी।
2	मशीनों एवं उपकरणों के अधिष्ठापन के लिए सौफ्ट लोन	एम्स, नई दिल्ली के दर पर बी०पी०एल० मरीजों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा व्यय से ऋण की वसूली तथा ऋण की राशि की भरपाई ऋण के दिए जाने की तिथि से 5	संस्था को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डी०पी०आर० समर्पित करना होगा जिसमें उन मशीनों एवं उपकरणों की सूची, स्पेशिफिकेशन्स, निर्माता कम्पनी तथा अनुमानित मूल्य का विवरण अंकित किया जायेगा तथा कुल लागत राशि का

		वर्ष के अन्दर की जाएगी। इस अवधि के प्श्चात शेष राशि पर 10 प्रतिशत के दर से सामान्य ब्याज सरकार को देय होगा। इस ऋण की वसूली होने के पश्चात बी०पी०एल० के साथ-साथ अन्य मरीजों के लिए चिकित्सा शुल्क का दर निर्धारित कर सकेगा।	15 प्रतिशत बैंक गारन्टी प्रस्ताव के साथ समर्पित करना होगा। भूमि एवं अस्पताल के निर्माण का कार्य संस्था का दायित्व होगा। मशीनों एवं उपकरणों के क्रय में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। मशीनों एवं उपकरणों के कुल अनुमानित लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रु० का सॉफ्ट लोन स्वीकृत किया जायेगा। क्रय किए जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों का 90 प्रतिशत राशि Escrow Account के माध्यम से सीधे आपूर्तिकर्त्ता/निर्माता को भुगतान किया जायेगा। सॉफ्ट लोन की वसूली बी०पी०एल० के चिकित्सा व्यय से की जायेगी। स्वीकृत लोन की 10 प्रतिशत राशि Performance Guarantee 5 वर्षो तक तथा सॉफ्ट लोन की वसूली होने तक की अवधि के लिए देनी होगी।
3	भूमि एवं मशीनों एवं उपकरणों के अधिष्ठापन के लिए सॉफ्ट लोन	सभी मरीजों के लिए एम्स, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित दर को लागू करना होगा। सॉफ्ट लोन की वसूली 5 वर्ष के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा से की जायेगी तथा उक्त अवधि के पश्चात लोन की शेष राशि पर 10 प्रतिशत सामान्य ब्याज देना होगा।	इस विकल्प के तहत अधिकतम 25 एकड़ भूमि तथा मशीनों एवं उपकरणों के लिए 5 करोड़ रु० तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित संस्था विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव समर्पित करेगी। डी०पी०आर० की कुल राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारन्टी प्रस्ताव के साथ समर्पित करना होगा। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत राशि के दर पर तीन वर्ष की राशि Performance

			Guarantee के रूप में M.O.U. के हस्ताक्षर के साथ देनी होगी। तीन वर्ष में परियोजना को पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् परियोजना लागत की 10 प्रतिशत की राशि Performance Guarantee के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए देनी होगी। यह Performance Guarantee की राशि प्रत्येक 5 वर्ष पर 25 प्रतिशत बढ़ेगी तथा संस्था को हर 5 वर्ष पर Performance Guarantee को Renew करना होगा। यदि 5 वर्षो के अवधि समाप्ति होने तक Renewal नहीं कराया गया तो सरकार Performance Guarantee की राशि जब्त कर लेगी। सरकार द्वारा अधिकतम 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। यदि यथोचित जाँचोपरान्त सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि अस्पताल द्वारा AIIMS की दर से ज्यादा दर पर फीस ली जा रही है तो Performance Guarantee को जब्त कर लिया जायेगा। तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि का मूल्यांकन आयकर विभाग के मान्यता प्राप्त वैल्यूयेटर से कराकर उसकी डेढ़ गुणा राशि की वसूली अस्पताल से की जायेगी।

4. प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्स, नई दिल्ली में प्रचलित चिकित्सा दर को प्राप्त कर उसे अधिसूचित किया जायेगा।

5. निजी क्षेत्र के सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों के प्रबंध समिति में संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि के रूप में उस जिले के सिविल सर्जन तथा सचिव,

स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा मनोनीत वरीय विभागीय पदाधिकारी को शामिल करने की बाध्यता होगी।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी 500(पाँच सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को भेजी जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12/स्था०–21–14/2006 स्वा०, राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रषित।

ह०/–
(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12/स्था०–21–14/2006 स्वा०, राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: झारखण्ड राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान सचिव/वित्त आयुक्त के सचिव/ सभी विभाध्यक्ष/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुकत/सभी उपायुक्त/निदेशक, रिम्स, राँची/निदेशक, रिनपास, काँके, राँची/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी सिविल सर्जन, झाखण्ड एवं विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव

अधिसूचना-प्रारूप
झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

अधिसूचना सं०-   राँची, दिनांक-

जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रशिक्षित एवं दक्ष पारा मेडिकल कर्मियों की सहभागिता सर्वथा वांछनीय है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्र में पारा मेडिकल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मानक गुणवत्ता निर्धारित करने तथा इनके सुव्यवस्थित संचालन के लिये institutional framework स्थापित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा पारा मेडिकल काउन्सिल का गठन किया जाना आवश्यक है। इस काउन्सिल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(1) झारखण्ड राजय में सभी पारा मेडिकल कर्मियों का पंजीकरण।
(2) झारखण्ड राज्य में चिकित्सा विज्ञान के एलोपैथी/डेण्टल/आयुष पद्धतियों के डिप्लोमा के संचालन की व्यवस्था तथा इन पाठ्क्रयमों के सरकारी एवं निजी संस्थानों की संबद्धता।
(3) पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन एवं डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट्स प्रदान करना ।

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-</u>
   (क) यह नियम पारा मेडिकल/शिक्षण संस्था नियम 2006 कहा जायेगा।
   (ख) यह संपूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
   (ग) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
   (घ) यह पूर्व से संचालित तथा भविष्य में स्थापित/संचालित होने वाली सभी पारा मेडिकल/पारा डेण्टल शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा।

2. <u>परिभाषायें:-</u> इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
   (क) पारा मेडिकल/पारा डेण्टल से अभिप्रेत है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आर्थेटिक एवं प्रास्थेटिक, शल्य कक्ष सहायक, नेत्र सहायक, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्वच्छता निरीक्षक, एक्स-रे टेक्नीशियन, डेण्टल मेकेनिक, डेण्टल हाईजिनिस्ट, ड्रेसर हियरिंग लैंगुएज एवं स्पीच थेरापी, इ०सी०जी० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी तथा अन्य ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य/केन्द्रीय स्तर के किसी नियम/विनियम/अधिनियम के अधीन संचालित नहीं है।

(ख) झारखण्ड राज्य पारा मेडिकल काउन्सिल से तात्पर्य है इस नियम के अधीन गठित कॉन्सिल।

(ग) शासी परिषद् से अभिप्रेत है, नियम 5 के अंतर्गत गठित परिषद्।

(घ) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, पारा मेडिकल/पारा डेण्टल डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट से संबंधित पाठ्यक्रम।

(ड.) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्रेत है, अध्यक्ष शासी परिषद् के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त निर्दिष्ट अधिकारी।

(च) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

(छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार।

(ज) ''परीक्षाएँ'' से अभिप्रेत है, पारा मेडिकल/पारा डेण्टल प्रशिक्षण के दौरान एवं प्रशिक्षण के पश्चात् संबंधित परीक्षाएँ।

(झ) ''परीक्षा समिति'' से अभिप्रेत है, नियम 5(ग) के अंतर्गत शासी परिषद् के द्वारा गठित परीक्षा समिति।

3. पारा मेडिकल एवं पारा डेण्टल शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं नियंत्रण इस नियम के उपबंधों के विपरीत काई भी व्यक्ति/न्यास/संस्था/संगठन/सोसायटी/या कोई अन्य प्राधिकार पारा मेडिकल/पारा डेण्टल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए कोई संस्था स्थापित या संचालित नहीं करेगा। पारा मेडिकल संस्था नियम का क्रियान्वयन पैरा मेडिकल काउन्सिल के माध्यम से किया जायेगा।

4. यदि किसी कोर्स के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारतीय दन्त परिषद्/भारतीय पुर्नवास परिषद्/भारतीय भैषज्य परिषद् या अन्य कोई मापदंड/पाठ्यक्रम या अन्य शर्त निर्धारित है तो वैसे कोर्स/पाठ्यक्रम के मामलों में उक्त परिषद् के तत्वाधान लागू होंगे तथा उस हद तक इस नियम के प्रावधान शिथिल माने जायेंगे।

5. पारा मेडिकल कॉन्सिल की एक शासी परिषद् निम्नवत् गठित होगी:-

1.	सचिव, स्वा॰ एवं प॰ क॰ विभाग, झारखण्ड	अध्यक्ष
2.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड	उपाध्यक्ष
3.	कार्यकारी निदेशक (Execurtive Director)	सदस्य सचिव
4.	निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची	सदस्य
5.	निदेशक, रिनपास, राँची	सदस्य
6.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
7.	क्षेत्रीय निदेशक, ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰, कोलकाता	सदस्य
8.	आई॰एम॰ए॰ के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	चिकित्सा अधीक्षक, बोकारो जेनरल अस्पताल	सदस्य
10.	चिकित्सा अधीक्षक, टाटा मुख्य अस्पताल, जमशेदपुर (TMH)	सदस्य

6. पारा मेडिकल कॉन्सिल के कार्य:-

(क) शासी परिषद् पारा मेडिकल काउन्सिल के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्यव्यवस्था के लिये समय-समय पर आवश्यक नियम बना सकेगी। इस प्राकार के सभी नियमों की प्रति राजय सरकार की सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(ख) निबंधन पर्षद (Board of Registration):- शासी परिषद् के द्वारा एक निबंधन पर्षद गठित होगा। पारा मेडिकल कर्मियों का पंजीकरण जिसमें निम्न सभी शामिल होंगे:-

(i) झारखण्ड पारा मेडिकल काउन्सिल द्वारा प्रमाणित सभी पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण।

(ii) दूसरे राज्यों के पैरा मेडिकल काउन्सिल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण।

(iii) केन्द्रीय शिक्षा परिषद् CMAI के पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण।

(v) शासी परिषद् द्वारा निर्मित अन्य राष्ट्रीय स्तर के अन्य पारा मेडिकल पर्षदों के द्वारा प्रमाणित।

(ख) पारा मेडिकल शैक्षणिक पर्षद (board of Paramedical Education):- पारा मेडिकल काउन्सिल के शैक्षणिक के कार्यो के संचालन के लिए शासी परिषद् एक शैक्षणिक पर्षद का गठन करेगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे।

(i) राज्य में पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इनके शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की संरचना एवं परीक्षा पद्धतियों को तैयार करना तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए।

(ii) पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन, आयु सीमा, पाठ्यक्रम की अवधि, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं के लिए आधारभूत संरचना के मानक से संबंधित पारा मेडिकल शिक्षण संस्था विनियम नियमावली का निर्माण।

(iii) सरकारी एवं गैर सरकारी पारा मेडिकल शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के आवंटनों पर कार्रवाई ।

(iv) संस्थानों की गुणवत्ता के निमित्त आवधिक निरीक्षण।

(ग) पारा मेडिकल परीक्षा पर्षद:- शासी परिषद् के द्वारा काउन्सिल का एक परीक्षा पर्षद गठित होगा जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(i) परीक्षाओं का संचालन एवं सफल छात्रों को प्रमाण पत्र का निर्गमन।

(ii) परीक्षा केन्द्रों की स्वीकृति।

(iii) परीक्षाओं के निमित परीक्षकों के पैनल का गठन।

(iv) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन एवं संचालन अथवा प्रवेश के लिए उपयुक्त वैकल्पिम पद्धति का निरूपण।

(घ) पारा मेडिकल काउन्लिस के प्रशासनिक कार्यः-

(i) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक संस्थानों से शैक्षणिक संयोजकों (Convenors) की नियुक्ति।

(ii) राष्ट्रीकृत बैंक में झारखण्ड पारा मेडिकल काउन्लिस के नाम से एक बचत खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना।

(iii) सरकारी एवं गैर सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्कों (Fee Structure) का निर्धारण तथा इस हेतु अधिसीमा का निश्चय।

(iv) संबद्ध संस्थानों के छात्रों से परीक्षा शुल्क की प्राप्ति।

(v) पारा मेडिकल बोर्ड के लेखा के प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से अंकेक्षण किया जायेगा।

7. कोई संस्थान निम्न विष्यों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगाः-

1	फिजियोथेरापी	-	डी.पी.टी. (डिप्लोमा-इन-फिजियोथेरापी)
2	आकुपेशनल थेरापी	-	डी.ओ.टी. (डिप्लोमा-इन-आकुपेशनल थेरापी)
3	ऑपरेशन थियेटर सहायक	-	डी.ओ.टी.ए. (डिप्लोमा-इन-ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट)
4	औपथेलमिक सहायक	-	डी.ओ.ए. (डिप्लोमा-इन-ऑपथैलमिक असिस्टेंट)
5	मेडिकल प्रयोगशाला टेक्निशियन	-	डी.एम.एल.टी. (डिप्लोमा-इन-मेडिकल लैब टेक्निशियन)
6	स्वच्छता निरीक्षक	-	डी.एस.आई. (डिप्लोमा-इन-सेनेटरी इंस्पेक्टर)
7	एक्स-रे टेक्निशियन	-	डी.एम.आर. (डिप्लोमा-इन-मेडिकल रेडियोग्राफी)
8	ई०सी०जी० टेक्निशियन	-	डिप्लोमा-इन-ई०सी०जी०
9	हियरिंग लैंगुवेज एण्ड स्पीच थेरापी	-	डी.एल.एच.एस. (डिप्लोमा-इन-हियरिंग लैंगुवेज एण्ड स्पीच थेरापी)
10	औथोटिक तथा प्रोस्थेटिक	-	डी.ओ.पी. (डिप्लोमा-इन-औथोटिक तथा प्रोस्थेटिक)
11	डिप्लामा इन फार्मेसी	-	डी०फार्मा
12	डिप्लामा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी	-	डी०फार्मा

उपरोक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रस्ताव पर उसकी आवश्यकता एवं उपादेयता पर राज्य में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में परिषद् निर्णय लेकर शामिल कर सकेगी।

8. झारखण्ड पारा मेडिकल काउन्सिल के कार्यें का संचालन नियम 4 के अंतर्गत गठित शासी परिषद् के द्वारा के नियम 6 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा।
9. शासी परिषद् की बैठक कम से कम 6 माह में एक बार अवश्य की जायेगी। ऐसी बैठक सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जायेगी तथा इसकी अध्यक्षता सचिव, स्वास्थ्य एवं प० क० करेंगे।
10. शासी परिषद् स्वा० एवं प० क० विभाग तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को छोड़कर दूसरे संस्थानों के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा बशर्ते संबंधित संस्थाओं द्वारा इसमें काई विस्तार या कटौती न की गई हो।
11. शासी परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर कार्यकारी निदेशक की पदस्थापना की जायेगी जो राज्य स्वास्थ्य संवर्ग/राज्य स्वास्थ्य शैक्षणिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही होगा। कार्यकारी निदेशक का कार्य अंशकालिक या पूर्णकालिक हो सकता है। कार्यकारी निदेशक ही काउन्सिल के सदस्य सचिव होंगे। कार्यकारी निदेशक-सह-सदस्य सचिव के लिए अर्हताएँ निम्नवत् होंगी:-
   (i) राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/राज्य स्वास्थ्य शैक्षणिक सेवा संवर्ग में 15 वर्षो का कार्यानुभव।
   (ii) चिकित्सा विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर योग्यता।

12. <u>कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिये निम्नांकित कार्मिक होंगे:-</u>
   (i) निबंधक जो चिकित्सा महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक स्तर के होंगे तथा ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित रहेंगे। यह अंशकालिक पद होगा।
   (ii) शैक्षणिक समन्वयक (Academic Co-ordinaotor):- ये काउन्सिल के शैक्षणिक बोर्ड के प्रभारी होंगे। इस पद पर भी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विभागों के सहायक प्राध्यापक से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा। यह अंशकालिक पद होगा।
   (iii) परीक्षा नियंत्रक:- चिकित्सा महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा। यह भी अंशकालिक पद होगा।
   (iv) कार्यालय प्रबंधक/सहायकों का तीन पद तथा एक आदेशापाल का पद अनुबंध पर नियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा।
13. झारखण्ड पारा मेडिकल काउन्सिल का कार्यालय शासी परिषद् के द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित किया जायेगा।

14. कार्यकारी निदेशक-सह-सदस्य सचिव के द्वारा काउन्सिल के कार्यो के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा:-

1	कार्यकारी निदेशक-सह-सदस्य सचिव	अध्यक्ष
2	निबंधक, पारा मेडिकल कॉन्सिल	सदस्य
3	एकेडेमिक कॉडिनेटर	सदस्य
4	परीक्षा नियंत्रक, पारा मेडिकल कॉन्सिल	सदस्य
5	विभिन्न पाठ्यक्रमों के संयोजक	सदस्य

15. <u>पाठ्यक्रम संयोजक (Convenor):-</u>

(i) पारा मेडिकल काउन्सिल के द्वारा संचालित विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक के लिए एक संयोजक की नियुक्ती की जाएगी।

(ii) संयोजक का पद अवैतनिक होगा तथा एक बार में इसकी कार्यवधि 3 वर्षो की होगी ।

(iii) संयोजक संबंधित पाठ्यक्रमों के सहायक प्राध्यापक स्तर के होंगे।

(iv) संयोजक की अनुशंसा शैक्षिणक समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(v) संयोजक (Convenor) प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

16. <u>संयोजक(Convenor) के कार्य:-</u>

(i) पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं परीक्षा की पद्धति का निर्माण।

(ii) संस्थानों के लिए पाठ्यक्रमों को संचालन तथा छात्रों के नामांकन की अर्हत्तता के न्यूनतम मापदण्डों का निर्माण।

(iii) संस्थानों के शैक्षिणक कार्यो की गुण्वत्ता सुनिश्चित कराने में शैक्षिणक समन्वयक को सहायता।

(iv) परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा के पत्रों तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में सहायता।

(v) निबंधक को दूसरे काउन्सिल/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित समरुप पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन तथा परीक्षण में निबंधन कार्य में सहायता।

(vi) संयोजक यदि राज्य सरकारी सेवा में नहीं होगें तो उन्हें अपने कार्यो के निर्वहन के लिए मानदेय तथा यात्रा व्यय दिया जाएगा।

17. <u>पारा मेडिकल काउन्सिल का वित्तीय संपोषण:-</u>

(i) झारखण्ड स्वास्थ्य समिति के द्वारा पारा मेडिकल काउन्सिल को 10 लाख रुपये का एकल अनुदान दिया जाएगा ।

(ii) शासी परिषद् की बैठक में कार्यकारी निदेशक–सह–सदस्य सचिव को वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए जाएंगे तथा राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलने का निर्णय लिया जाएगा ।

(iii) कार्यकारी निदेशक के द्वारा काउन्सिल के गठन के 3 माह के अन्दर आय–व्ययक का निर्माण कर शासी परिषद् के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

(iv) पारा मेडिकल काउन्सिल एक स्ववित्त पोषिक संस्था होगी, जिसमें निम्न मदों में प्राप्तियॉ होंगी:–

(क) झारखण्ड राज्य में कार्यरत/कार्य करने के इच्छुक पारा मेडिकल कर्मियों के निबंधन से प्राप्त होने वाली राशि

(ख) पारा मेडिकल संस्थानों की संबद्धता के एवज में प्राप्त शुल्क

(ग) परीक्षा शुल्क

(घ) अन्य कोई शुल्क/निधि जो शासी परिषद् अनुमत करे।

18. नियम बनाने की शक्तियॉ:–

(i) पारा मेडिकल काउन्सिल सम्बद्धता देने के पूर्व निरीक्षण, संस्थाओं में आधारभूत संरचनाओं तथा अन्य सभी प्रकार के बिन्दुओं पर नियम बना सकेगी ।

(ii) पारा मेडिकल कर्मियों के पंजीकरण के सभी बिन्दुओं पर काउन्सिल नियम बना सकेगी ।

(iii) इन नियमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये काउन्सिल यथाआवश्यकता कार्यक्रम/पाठ्यक्रम/नीति निर्धारित कर सकेगी तथा आवश्यक नियम प्रतिपादित कर सकेगी।

19. आर्थिक अनुदान:–

कोई भी सोसायटी/न्यास/संस्थान/पारा मेडिकल/पारा डेण्टल कोर्स हेतु इस नियम के अधीन मान्यता प्राप्ति मात्र के फलस्वरुप राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से आर्थिक अनुदान या सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

20. शास्तियाँ:–

(i) इस नियम के अधीन किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था पर काउन्सिल अधिकतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगी। इस काउन्सिल से संबद्धता प्राप्त किये बिना यदि झारखण्ड राज्य में कोई व्यक्ति या संस्था पारा मेडिकल कोर्स संचालित करता है तो उसे गैर कानूनी माना जायेगा।

(ii) किसी भी जिले के उपायुक्त तथा सिविल सर्जन इस नियम के अन्तर्गत किसी संस्था/स्थान की जाँच कर सकेंगे तथा काउन्सिल द्वारा बनाये गये नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुये उसे Seal कर सकेंगे।

21. निजी क्षेत्र में संचालित पारा मेडिकल/पारा डेण्टल संस्थान से संदर्भित किसी विवाद में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी संस्थानों पर लागू होगा। इन नियमों के उद्देश्य पूर्ति के लिये काउन्सिल राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव दे सकेगी।
22. स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बर्द्धन के लिये राज्य सरकार पारा मेडिकल काउन्सिल को दिशा-निर्देश दे सकेगी जिनका अनुपालन अनिवार्य होगा।
23. पारा मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बर्द्धन तथा स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मियों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिये Distance Courcses, Bridge Courses तथा Open School अन्य कार्यक्रम/पाठ्यक्रम बना सकेगी तथा उन्हें संचालित करने के लिये सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को सम्बद्धता दे सकेगी।
24. पारा मेडिकल काउन्सिल, कंडिका 17(i) में उल्लेखित अनुदान के सहित अपना वित्तीय प्रबंधन इस प्रकार करेगी की यह वित्तीय रूप से स्वाबलंबी रहे।
25. इस विषय के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी कानूनी विवाद का क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव